संख्या– 369 / XXIV–नवसृजित / 2016–02(21) / 2015

प्रेषक,

रंजना,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनांक 30 मई, 2016

विषयः– **राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय इण्टर कालेज /राजकीय हाईस्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु शिक्षकों की पदस्थापना के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः–नियोजन / 2278 / 2016–17 दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय इण्टर कालेज / राजकीय हाईस्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किये जाने हेतु **शिक्षकों** की **चयन प्रकिया** में निम्नवत् प्रकिया अपनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

(क) शिक्षकों की चयन प्रकिया–

1. वर्तमान में मॉडल स्कूल में कार्यरत शिक्षकों के बोर्ड परीक्षाफल का आंकलन किया जायेगा ताकि उनको उसी मॉडल स्कूल में रखे जाने पर विचार किया जा सके।
2. प्रत्येक वर्ष माह मई / जून में बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा अच्छा प्रदर्शन न करने वाले शिक्षकों को अन्यत्र तैनात किया जाएगा।
3. वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का विगत 05 वर्षों का परिषदीय परीक्षाफल मूल्यांकन किया जाएगा। परिषदीय परीक्षा के औसत से न्यून प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को अन्यत्र तैनात किया जाएगा। मध्य सत्र में होने वाली रिक्ति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विकासखण्ड / जनपद के पूल में से की जा सकेगी, जब तक कि नियमित / पदोन्नति से अध्यापक उपलब्ध न हो।

(ख) शिक्षकों का मूल्यांकनः–

यदि मॉडल स्कूल में किसी विषय का पद रिक्त है तो उसे भरे जाने हेतु निम्नवत् चयन की कार्यवाही की जायेगीः–

क्र0सं0	विवरण	अंक / स्तर	अभ्युक्ति
1	विगत वर्ष की परिषदीय परीक्षा का परीक्षाफल	100 प्रतिशत 80–99 प्रतिशत 60–79 प्रतिशत	– 03 अंक –02 अंक –01 अंक
2	विगत 05 वर्षों का परीक्षाफल का औसत	100 प्रतिशत 80–99 प्रतिशत 60–79 प्रतिशत	–03 अंक –02 अंक –01 अंक
3	शिक्षकों का प्रशिक्षण	राष्ट्रीय स्तर राज्य स्तर जनपद स्तर	–03 अंक –02 अंक –01 अंक

4	शिक्षकों की कम्प्यूटर दक्षता	MCA BCA 1-Year Diploma	–03 अंक –02 अंक –01 अंक
5	आई0सी0टी0 अवार्ड	अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राज्य स्तरीय	03 अंक –02 अंक –01 अंक
6	JNV/KVS/ पब्लिक स्कूल का अनुभव	न्यूनतम 02 वर्ष	–03 अंक
7	एन0सी0सी0 / एन0एस0एस0		–01 अंक
8	गाईडेंस काउन्सिलिंग		–01 अंक
9	खेल	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग राज्य स्तर पर प्रतिभाग	–03 अंक –02 अंक –01 अंक
10	कम्प्यूटर का कार्य साधक ज्ञान	(MS Office एवं इण्टरनेट)	–02 अंक
11	लिखित परीक्षा		–50 अंक
12	साक्षात्कार		–25 अंक

(ग) **चयन प्रकियाः**—मॉडल स्कूलों में चयन प्रक्रिया हेतु निम्न मानक अपनाये जायः—

गुणवत्ता गुणांक—25 अंक
लिखित परीक्षा—50 अंक
साक्षात्कार—25 अंक.

1. उपर्युक्त निर्धारित 100 अंकों में से 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले शिक्षकों के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. लिखित परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सिव, विषय ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर ज्ञान तथा छात्र—अभिरूचि से संबंधित प्रश्न पूछे जायेंगे।
3. लिखित परीक्षा में अंग्रेजी कम्प्रेहेन्सिव के 10 प्रश्न, विषय ज्ञान के 20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न, कम्प्यूटर ज्ञान के 05 प्रश्न एवं शिक्षण—अभिरूचि के 05 प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. शिक्षक केवल अपने जनपद के अंतर्गत ही मॉडल स्कूलों के लिए आवेदन कर सकेंगे। एक शिक्षक केवल एक ही विकासखण्ड के लिए आवेदन कर सकेगा।
5. लिखित परीक्षा के पश्चात् सफल शिक्षकों का ब्लाक स्तर पर साक्षात्कार किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जो कि निम्नवत् होगीः—
   1— खण्ड शिक्षा अधिकारी—अध्यक्ष।
   2— प्राचार्य, डायट द्वारा नामित सदस्य।
   3— मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित प्रधानाचार्य।
   4— ब्लॉक में वरिष्ठतम प्रवक्ता(सदस्य सचिव)
   5—ब्लॉक में अवस्थित केन्द्रीय विद्यालय / जवाहर नवोदय विद्यालय / सी0बी0एस0ई. / आई0सी0एस0ई0 विद्यालय से प्रधानाचार्य द्वारा नामित एक प्रवक्ता / टी0जी0टी0।
6. चयनित शिक्षकों की मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पदस्थापना की जायेगी।
7. चयनित शिक्षकों को उनके विकल्प के आधार पर विकासखण्ड के मॉडल स्कूल में पदस्थापना की जायगी।

8. प्रत्येक विषय की मेरिट के अनुसार ही पदस्थापना की जाएगी।
9. साक्षात्कार से पहले खण्ड शिक्षा अधिकारी, विषय की रिक्ति की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
10. मॉडल स्कूलों में चयनित शिक्षकों का प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा तथा कार्य के मूल्यांकन अथवा इच्छा के आधार पर शिक्षकों को विकासखण्ड के उसी श्रेणी के अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जा सकेगा।
11. चयनित शिक्षकों को शिक्षक स्थानांतरण नियमावली में छूट प्रदान की जायेगी।
12. मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने में प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अतएव मॉडल स्कूल के प्रधानाचार्य का भी प्रतिवर्ष मूल्यांकन किया जाएगा।

भवदीय
30/05/16
(रंजना)
अपर सचिव

संख्याः / (1)/xxiv–नवसृजित/2016–02(21)/2015 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल/कुमांऊ मण्डल।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
8. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रंजना)
अपर सचिव